न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 150/2022 बउनवानी रामसहाय बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र स्व0 श्री रूग्गा माली निवासी खानपुर बडौदा की ढाणी पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
GCMS No-2022/ 257

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
20.1.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1 यह है कि हल्का पटवारी ग्राम खानपुर बडौदा द्वारा खसरा गिरदावरी खरीफ सम्वत् 2079 ग्राम खानपुर बडौदा पटवार हल्का खानपुर बडौदा भू.अभि.निरी.क्षेत्र उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी खाता संख्या 277 रामजीलाल पुत्र पैमा हरेत, रामसहाय पुत्र रूग्गा माली गिरदावरी की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/ सूकाअ(66)/2023/223 दिनांक 13.1.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना कुल 4 पृष्ठो की जरिये पत्रांक 223 दिनांक 13.1.2023 से न्यायालय हाजा को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.11.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 223 दिनांक 13.1.2023 के साथ न्यायालय हाजा को भिजवायी गयी है उक्त सूचना की प्रति अपीलान्ट को नही भिजवायी गयी है। अतः तहसील गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि जवाब नोटिस के साथ न्यायालय हाजा को भिजवायी सूचना की प्रति अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जावे। प्रति मे जवाब नोटिस के साथ प्राप्त सूचना की प्रति निर्णय प्रति के साथ अपीलान्ट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:30:13 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर